संо / 11(02)–2019–03(08)/2008 टी0सी0–II

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

चेयरमैन,
गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,
भारत सरकार सिंचाई भवन, तृतीय तल,
पटना।

सिंचाई अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक :/5 जून, 2019**

विषयः केन्द्रपुरोनिधानित बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम (FMP) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं (UK-13, UK-14, UK-16 एंव UK-22) पर अवशेष केन्द्रांश अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गंगा बाढ नियंत्रण आयोग, पटना के पत्र सं0–T-11014/10/2018-MP-II/I/1034/2019 दिनांकः 20.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा केन्द्रपुरोनिधानित बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम (FMP) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं (UK-13, UK-14, UK-16 एंव UK-22) पर अवशेष केन्द्रांश अवमुक्त करने हेतु पुनरीक्षित FMP-1, FMP-2 एंव FMP-3 तथा आवश्यक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के की वांछना की गयी है। अवगत कराना है कि UK-13, UK-14, UK-16 योजनाएं पूर्व में फंडिंग पैटर्न 90% (केन्द्रांश) : 10% (राज्यांश) के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी। कालान्तर में भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित फंडिंग पैटर्न 80% (केन्द्रांश) : 20% (राज्यांश) के आधार पर अवशेष राज्यांश अवमुक्त कराये जाने हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा निर्देशित किया गया था । लेकिन UK-22 योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न 70% (केन्द्रांश) : 30% (राज्यांश) के आधार पर प्रदान की गई थी।

भारत सरकार के पुनरीक्षित फंडिंग पैटर्न 80% : 20% के आधार पर UK-13, UK-14, UK-16 से सम्बन्धित योजनाओं की पुनरीक्षित केन्द्रांश एवं राज्यांश की गणना करने के पश्चात अवशेष राज्यांश (Balance State Share) ₹ 802.096 लाख उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–249 /।।– 2019– 03(08) /2008, टीसी–1, दिनांक 07.03.2019 द्वारा अवमुक्त कर दी गई है। **(छायाप्रति संलग्न)** साथ ही प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0–968/प्र0अ0/ सिं0वि0/ बजट/ बी–1/ आवंटन, दिनांकः 08.03.2019 द्वारा सिंचाई खण्ड, हरिद्वार को उक्त धनराशि आवंटित भी कर दी गई है। UK-22 योजना पर सम्पूर्ण राज्यांश पूर्व में राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त किया जा चुका है, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी पूर्व में भारत सरकार को उपलब्ध कराया जा चुका है ।

अतः प्रश्नगत योजनाओं पर भारत सरकार के स्तर से अवशेष केन्द्रांश अवमुक्त कराये जाने हेतु उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पुनरीक्षित FMP-1, FMP-2 एंव FMP-3 तथा आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं, कि कृपया इसे अपने स्तर से धनावंटन हेतु आयुक्त (बाढ़ प्रबन्धन), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, 11 वां ब्लॉक, 8वीं मंजिल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव ।

क्रमशः.................02

सं0:–680/ II(02)–2019–03(08)/2008, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिह)
संयुक्त सचिव